राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या–24/2015/भीलवाडा
(अपील सं. 674/2014 में पारित
आदेश दिनांक 30.03.2015 के सम्बन्ध में)

मैसर्स सुजुकी टैक्सटाईल्स लि., भीलवाडा ...अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत, भीलवाडा ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक ....अपीलार्थी प्रार्थी की ओर से
श्री आर.के.खदाव
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.08.2018

निर्णय

1. यह संशोधन प्रार्थना पत्र व्यवहारी मैसर्स सुजुकी टैक्सटाईल्स लि., भीलवाडा द्वारा अपील सं. 674/2014 में माननीय कर बोर्ड की सम्माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2015 के संबंध में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. विचाराधीन प्रकरण में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक, विशेष वृत, भीलवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2011–12 के कर निर्धारण हेतु पारित आदेश दिनांक 28.06.2013 में व्यवहारी द्वारा निर्यात पर प्रत्यर्पण राशि रू. 9,32,060/– का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा विवादित रिफण्ड राशि रू 9,32,000/– एवं 1,69,623/– को चुनौती दी गई थी। अपीलीय अधिकारी ने अपील निर्णय दिनांक 14.02.2014 द्वारा अस्वीकार की। व्यवहारी द्वारा कर बार्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय कर बोर्ड में प्रस्तुत अपील में व्यवहारी द्वारा रिफण्ड के संबंध में राशि रू. 9,32,000/– एवं राशि रू. 1,69,623/– को चुनौती दी गई। माननीय एकलपीठ ने निर्णय दिनांक 30.03.2015 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए प्रत्यर्पण राशि रू 9,32,060/– के संबंध में अपीलार्थी को नियमानुसार रिफण्ड प्रदान करने हेतु निर्देशित करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि माननीय कर बोर्ड द्वारा निर्णय दिनांक 30.03.2015 में राशि रू. 9,32,060/– के संबंध में आदेश पारित कर दिया गया है परन्तु राशि रू 1,69,623/– के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इन्होंने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राशि रू 1,69,623/– के संबंध में आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. विचाराधीन प्रकरण में माननीय कर बोर्ड में प्रस्तुत अपील में व्यवहारी द्वारा रिफण्ड के संबंध में राशि रू. 9,32,000/– एवं राशि रू. 1,69,623/– को चुनौती दी गई थी। माननीय एकलपीठ ने निर्णय दिनांक 30.03.2015 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए प्रत्यर्पण राशि रू 9,32,060/– के संबंध में अपीलार्थी को नियमानुसार रिफण्ड प्रदान करने हेतु निर्देशित करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि माननीय कर बोर्ड द्वारा निर्णय दिनांक 30.03.2015 में राशि रू. 9,32,060/– के संबंध में आदेश पारित कर दिया गया है परन्तु राशि रू 1,69,623/– के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम 2006 के नियम 28 के अन्तर्गत वेट 21 में रिफण्ड हेतु राशि रू. 1,69,623/– का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ सं. 1 से 4 पर अवलोकनीय है परन्तु राशि रू. 1,69,623/– के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में राशि रू 9,32,060/– के रिफण्ड से संबंधित वेट–21 उपलब्ध नहीं है। अपील में व्यवहारी द्वारा राशि रू 9,32,060/– व राशि रू. 1,69,623/– के रिफण्ड के संबंध में चुनौती दी गई है तथा अपील अस्वीकार की गई है। माननीय कर बोर्ड के समक्ष दोनों रिफण्ड के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है परन्तु विचाराधीन निर्णय दिनांक 30.03.2015 द्वारा राशि रू. 9,32,060/– के रिफण्ड के संबंध में निर्णय पारित कर दिया गया है परन्तु राशि रू. 1,69,623/– के रिफण्ड प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जो कि रिकार्ड पर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर त्रुटि है जिसे संशोधित किया जाना विधिसम्मत है। अतः रिफण्ड प्रार्थना पत्र राशि रू. 1,69,623/– के संबंध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि वे रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेज, विधिक प्रावधान के प्रकाश एवं दस्तावेजों की जांच कर रिफण्ड प्रार्थना पत्र वेट–21 दिनांक 31.12.2012 बाबत् राशि रू. 1,69,623/– के संबंध में व्यवहारी को सुनकर विधिसम्मत एवं नियमानुसार आदेश पारित करें।

5. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य